उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0–सी– 18 /वसूली/2024–25 दिनांक– 01.10.2024

1–समस्त वरिष्ठ/शाखा/प्रभारी प्रबन्धक,
2–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–"मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना 2024" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

बैंक के ऐसे ऋणी सदस्य जिनके द्वारा बैंक से लिए गये ऋण की पूर्ण अदायगी किये बिना मृत्यु हो गयी हो, ऐसे मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों को ऋण को अदा करने हेतु राहत पहुँचाने एवं बैंक की ऐसी धनराशि जो निरन्तर प्रयासों के उपरान्त जमा न हो पायी हो, ऐसी धनराशि की वसूली कर बैंक की वित्तीय तरलता को बढाये जाने के उद्देश्य से प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता के पत्रांक 1874/अधि–1/ दिनांक सितम्बर 23, 2024 द्वारा बैंक में "**मृतक ऋणी सदस्यों हेतु "ऋण मोचन योजना–2024"** लागू किये जाने का अनुरोध उ0प्र0 शासन से किया गया।

उपर्युक्त के क्रम में उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–575/49–1–24–6(32)/13TC-II सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 द्वारा बैंक में "**मृतक ऋणी सदस्यों हेतु ऋण मोचन योजना 2024**" निर्गत की गयी है जिसे आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0 के पत्रॉक–1964/अधि–01 लखनऊ दिनांक : अक्टूबर 01, 2024 द्वारा उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन बैंक में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है जो निम्नवत् है :–

"मृतक ऋणी सदस्यों हेतु ऋण मोचन योजना–2024"

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 के ऐसे ऋणी सदस्य जिनके द्वारा बैंक से लिए गये ऋण की पूर्ण अदायगी किये बिना मृत्यु हो गयी हो पर ही लागू होगी। योजना का उद्देश्य मृतक ऋणी के वारिसानों/हितधारकों को मात्र ब्याज में छूट प्रदान कर बकाया ऋण धनराशि/मूलधन को अदा करने हेतु राहत पहुँचाना एवं बैंक की ऐसी धनराशि जो निरन्तर प्रयासों के उपरान्त जमा न हो पायी हो उसको बैंक में वापस प्राप्त कर बैंक की वित्तीय तरलता को बढ़ाना है। इस योजना में बैंक के मृतक ऋणी सदस्यों को श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुये लाभ अनुमन्य कराये जाने का निम्नवत प्राविधान किया गया है :–

योजना की अवधि–

यह योजना शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31.12.2024 तक के लिए लागू होगी।

पात्रताः–

(1) ऐसे मृतक ऋणी सदस्य, जिन्होंने दिनांक 31.03.2023 तक, अथवा उससे पूर्व ऋण प्राप्त किया है एवं दिनांक 31.03.2023 को अथवा उसके पूर्व मृत्यु हो गयी है, को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था है।

(2) दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट/उद्देश्य/इकाई हेतु ऋण लिया गया हो तो मृतक सदस्य को ही योजना का लाभ देय होगा।

(3) ऐसे ऋण जिनमें सहभागीदार के साथ ऋण प्राप्त किया गया है तो मुख्य प्रार्थी/ऋणी सदस्य की मृत्यु की दशा में ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

वर्गीकरणः–

बैंक के मृतक ऋणी सदस्य को निम्नानुसार श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुये योजना का लाभ अनुमन्य किया जाये :–

श्रेणी–1:–

दिनांक 31 मार्च, 2003 तक अथवा उक्त तिथि से पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में मृतक ऋणी सदस्य के वारिसानों/हितधारकों को केवल अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि जमा कर खाता बन्द कर सकेगें, उन पर समझौते की तिथि तक देय समस्त (शत–प्रतिशत) ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

श्रेणी–2:–

दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्य के प्रकरणों में निम्नानुसार छूट का लाभ अनुमन्य किया जायेगा :–

(क) मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों पर अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि शत–प्रतिशत जमा की जायेगी।

(ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त ब्याज में 75 (पचहत्तर) प्रतिशत की छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 25 (पच्चीस) प्रतिशत ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।

श्रेणी–3:–

दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्य के प्रकरणों में निम्नानुसार ब्याज में छूट का लाभ अनुमन्य किया जायेगा :–

(क) मृतक ऋणी सदस्य के वारिसानों/हितधारकों पर अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि को शत–प्रतिशत जमा किया जायेगा।

(ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त ब्याज में 50 (पचास) प्रतिशत की छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 50 (पचास) प्रतिशत ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।

योजनान्तर्गत भुगतान के नियम एवं प्रतिबन्ध :–

1. योजना की पात्रता हेतु निर्धारित सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य होगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया एवं शाखा के फील्ड स्टाफ (आवंटित क्षेत्र के अनुसार) से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र को सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक द्वारा अपने स्तर से पुष्टित कर मान्यता प्रदान की जायेगी। मृत्यु प्रमाण–पत्र की सत्यता एवं शुद्धता की पुष्टि करने का पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक का होगा।
2. उक्तानुसार लागू की जाने वाली योजना का लाभ बकाया किश्तों एवं आने वाली समस्त किश्तों की सम्पूर्ण अदायगी पर ही देय होगा। योजना से आच्छादित मृतक पात्र ऋणी सदस्य के वारिसानों/हितधारकों द्वारा अपनी सहमति देकर बैंक से समझौता किया जा सकता है।
3. मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों द्वारा एक बार में सम्पूर्ण देय धनराशि, जमा करने/ऋण खाता बन्द करने पर ही योजना के लाभ की सुविधा प्राप्त होगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में श्रेणी–1, 2, 3, के ऐसे पात्र ऋणी सदस्य जिनकी समझौता तिथि को आगणित कुल देय धनराशि रू0 50,000.00(पचास हजार) से अधिक है, वह 02 किश्तों में सम्पूर्ण धनराशि जमा(ऋण खाता बन्द) कर योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें कुल देय धनराशि का न्यूनतम् 50 प्रतिशत धनराशि बैंक में जमा कर अपनी सहमति प्रदान करते हुए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा तथा अवशेष धनराशि समझौता तिथि से आगामी 90 दिन अथवा योजना समाप्त होने की तिथि दोनों में से जो पहले हो, तक ही जमा की जा सकेगी। उक्त के साथ ही ऋण खाता बन्द करने की तिथि तक का अद्यतन ब्याज भी आगणित कर लिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

4. यदि मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों द्वारा समझौते(रजिस्ट्रेशन) के उपरान्त निर्धारित अवधि (90 दिन अथवा योजना समाप्त होने की तिथि तक जो भी पहले हो) के व्यतीत हो जाने पर भी अवशेष धनराशि जमा कर ऋण_खाता बन्द नहीं करते है, तो पूर्व में रजिस्ट्रेशन के रूप में जमा की गई धनराशि ऋणी सदस्य के ऋण खाते में सामान्य वसूली की तरह समायोजित कर दी जायेगी एवं उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।
5. योजना की श्रेणीवार एक पात्रता सूची शाखा स्तर पर तैयार की जायेगी। उक्त सूची की एक प्रति जिला स्तरीय प्रबन्धक को प्रेषित की जायेगी, तत्पश्चात जिला स्तरीय प्रबन्धक द्वारा संकलित सूची क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रेषित की जायेगी। उक्त पात्रता सूची में सम्मिलित मृतक ऋणी सदस्य एवं उनके वारिसानों/हितधारकों के नाम व उसमें अंकित प्रविष्टियों की सत्यता व शुद्धता की पुष्टि करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक का होगा।
6. बैंक शाखा द्वारा साप्ताहिक रूप से सम्पन्न समझौतों की सूची क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मण्डल पर उपलब्ध सूची से मिलान किया जायेगा, और यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो शाखा स्तर से उसका समाधान कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय प्रबन्धक का होगा। विसंगति का समाधान होने के उपरान्त सम्बन्धित को योजना का लाभ प्रदान किया जाये।
7. पात्र हितधारकों/वारिसानों से किये गये समझौतों की संकलित सूचना पाक्षिक रूप से क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, द्वारा समझौते का निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराया गया है, जो शासनादेश के साथ संलग्न कर निर्गत किया जा रहा है।
8. पात्रता सूची में ऐसे प्रकरण, जो इस योजना के तहत तैयार की गयी सूची में कतिपय कारणोंवश सम्मिलित होने से छूट गये हैं, की पुष्टि पर्याप्त प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर करते हुए, उन्हें क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुमति से सम्मिलित किया जा सकेगा और इसकी सूचना तत्काल बैंक मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
9. योजना के अधीन किसी भी प्रकार की अन्य विसंगति पाये जाने पर प्रकरण को उचित माध्यम से संन्दर्भित कर मुख्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा तथा ऐसे प्रकरणों में मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
10. योजना में समझौता करने वाले मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों से प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का गहन परीक्षण करने के उपरान्त उसकी स्वीकृति संबंधित प्रभारी/ शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।संबंधित प्रभारी/ शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों को कुल देय ब्याज की छूट का विवरण तैयार कर सम्बन्धित शाखा पर सुरक्षित रखा जायेगा,जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रभारी/शाखा /वरिष्ठ प्रबन्धक का होगा, जिसे क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अवलोकित भी किया जायेगा।
11. योजनान्तर्गत मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/ हितधारकों को दी जाने वाली ब्याज में छूट की धनराशि को संबंधित शाखा के लाभ–हानि खाते में प्रभारित (**Account for**) किया जायेगा।
12. योजना के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों को योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व शाखा के प्रभारी/शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक एवं सम्बन्धित क्षेत्र के फील्ड स्टाफ का होगा। यदि किसी पात्र कृषक को योजना के बारे में जानकारी देने में शिथिलता/विचलन पाया जाता है तो शाखा के प्रभारी/शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक एवं सम्बन्धित क्षेत्र के फील्ड स्टाफ के साथ–साथ क्षेत्रीय प्रबन्धक का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।
13. वसूली लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कुल आच्छादित पात्र बकायेदारों का लक्ष्य निर्धारण किया जायेगा एवं योजना के सफल क्रियान्यवन एवं वसूली लक्ष्यों की पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित मण्डल के क्षेत्रीय प्रबन्धक का होगा। उक्त योजना की साप्ताहिक समीक्षा मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा इसकी पाक्षिक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

अतः उक्त योजना में शासन स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा इस योजना को प्रभावी ढ़ग से लागू करने एवं समस्त पात्र ऋण केसों की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न निर्देश भी दिये जाते हैं :–

1– योजनान्तर्गत मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों को दी जाने वाली ब्याज की छूट से लिखित एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करके अवगत कराया जाय तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी करें। ऐसे बकायेदारों के वारिसानो/हितधारकों से किये गये सम्पर्क का विवरण/नोटिस प्राप्ति का साक्ष्य शाखा पर सुरक्षित रखा जाय।

2– योजना की नियमित प्रगति की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जायेगी। साप्ताहिक रूप से निर्धारित प्रारूप पर सूचना क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा संकलित कर वसूली अनुभाग की ई0मेल0आई0डी0 **upsgvbrec@gmail.com** पर प्रेषित की जायेगी। श्रेणीवार आच्छादन एवं जमा धनराशि का प्रारूप संलग्न है। (प्रारूप–द)

4– योजना के कियान्वयन में किसी प्रकार का विचलन/अनियमितता प्रकाश में आने पर सम्बन्धित प्रभारी/शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–पात्रता सूची का प्रारूप–अ,।
समझौते हेतु सहमति प्रारूप–ब एवं स'।
साप्ताहिक सूचना का प्रारूप–'द'
पम्पलेट का प्रारूप–च।

(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. वरि0प्रबन्धक(आईटीसेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 को बैंक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के सादर अवलोनार्थ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव सहकारिता, उ0प्र0 शासन को, प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. निजी सचिव, मा0 सभापति, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Scanner